पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं

1. पंजीकरण

योजना का नाम– राम की पैड़ी के समीप चौपाटी के प्रथम तल के दुकानों का ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन।

1.1 पंजीकरण हेतु पात्रता –

- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किन्तु अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं।

1.2 पंजीकरण सम्बन्धी नियम–

- पंजीकरण ऑनलाइन https://ayodhyada.procure247.com माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे तथा पात्र आवेदकों को दुकानों का आवंटन निर्धारित तिथि को आयोजित ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- पंजीकरण हेतु आवेदन विक्रय विलेख का पंजीकरण शासनादेश के अनुसार एकल या संयुक्त नामों (पति एवं पत्नी) से किया जा सकता है।
- पंजीकृत आवेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित समयावधि में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के भलीभाँति परीक्षणोपरान्त सहीं पाये गये आवेदन पत्रों को पंजीकृत करते हुए आवंटन ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को ई–नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- ई–नीलामी एवं पंजीकरण पुस्तिका में त्रुटि को किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित है।
- निविदा सह ई–नीलामी/बोली को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित होगा।
- किसी भी प्रकार की लिपिकीय एवं प्रिंटिंग त्रुटि संशोधनीय होगी।
- शासनादेश सं0 988/आठ–1–09–79 के वि०ए०/07 दिनांक– 02 मार्च 2009 के प्राविधान के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ०बी०सी०, स्वतंत्रता सेनानी व उनके आश्रित व विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित पंजीकरण/धरोहर धनराशि की आधी राशि ही जमा करने की सुविधा अनुमन्य है।
- सम्पत्तियों का आवंटन ''जहां जैसे है'' के आधार पर किया जायेगा।

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

द्वारा विकसित राम की पैड़ी के समीप स्थित ''चौपाटी'' के प्रथम तल पर दुकान पाने का

सुनहरा अवसर

पंजीकरण अवधि– दिनांक– 20.10.2026 से दिनांक– 21.11.2026 तक

क्र0	सम्पत्ति का प्रकार	उपलब्ध संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य (रू0 में)	अनारक्षित श्रेणी पंजीकरण धरोहर धनराशि 10 प्रतिशत	आरक्षित श्रेणी पंजीकरण धरोहर धनराशि 5 प्रतिशत
1	दुकान– प्रथम तल	32*	10.50	1857100.00	185710.00	92855.00

1. ई–नीलामी पद्धति से विक्रय प्रक्रियाः–

- ❖ सम्बन्धित सम्पत्ति ई–नीलामी https://ayodhyada.procure247.com/ के माध्यम से विक्रय की जायेगी।
- ❖ ई–नीलामी प्रक्रिया में वही आवेदक भाग ले सकेंगे जो प्रतिभूति की धनराशि ई–नीलामी पोर्टल– https://ayodhyada.procure247.com/ पर चालान RTGS एवं नेट बैंकिग के माध्यम से जमा करेगें।

2. पात्रता एवं शर्तेः–

- ❖ पंजीकरण पुस्तिका रू0–1180/- (जी.एस.टी. सहित) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑनलाइन वेबसाइट https://ayodhyada.procure247.com/ के माध्यम से दिनांक–20.10.2026 से दिनांक–21.11.2026 तक जमा किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ.बी.सी., स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग व्यक्तियों को 5 प्रतिशत पंजीकरण राशि जमा करने की सुविधा अनुमन्य है।
- ❖ फ्री होल्ड चार्ज भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अलग से देय होगा।
- ❖ दुकानों की छत पर प्राधिकरण का ही स्वामित्व रहेगा। आवंटी का छत पर कोई अधिकार नहीं रहेगा।

3. पंजीकरण/धरोहर धनराशि

3.1 पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑनलाइन वेबसाइट https://ayodhyada.procure247.com/ के माध्यम से किया जायेगा।

3.2 ई–नीलामी तिथि से पूर्व आवेदक द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण/धरोहर धनराशि वापस ली जा सकती है, ऐसी स्थिति में :–

पंजीकरण पुस्तिका शुल्क (नॉन–रिफण्डेबल)	1180.00 रूपये मात्र (18% जी0एस0टी0 सहित)
पंजीकरण धनराशि (रिफण्डेबल)	भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का 10 एवं 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना होगा। **नोट–** नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने में असफल रहने वाले आवेदकों की जमा **धरोहर धनराशि** बिना किसी ब्याज अथवा कटौती के नियमानुसार पंजीकरण के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

4. आरक्षण

4.1 आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अपलोड करने होंगे।

4.2 सम्पत्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट–बढ़ सकती है।

5. आवंटन प्रक्रिया

5.1 सम्पत्ति का आवंटन ऑनलाइन ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

5.2 सफल पंजीकृत आवेदकों की सूची सार्वजनिक रूप से विकास प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं ई–नीलामी की वेबसाइट https://ayodhyada.procure247.com/ पर निलामी के 02 दिवस में प्रदर्शित की जायेगी।

5.3 व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति आवंटन होने के पश्चात, न लेने (सम्पत्ति अस्वीकार करने) की दशा में जमा समस्त पंजीकरण/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5.4 सम्पत्ति का आवंटन फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में किया जायेगा। फ्री होल्ड शुल्क भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अलग से देय होगा।

5.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात देय धनराशि समय से न जमा करने पर प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत दण्ड ब्याज भी देय होगा।

5.6 आवंटित सम्पत्ति का सेल प्लान प्राप्त होने पर किसी कारण से क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो वास्तविक क्षेत्रफल का मूल्य शासनादेशों के आधार पर समायोजित किया जायेगा, जिसे आवंटी द्वारा जमा किया जाना होगा।

6. भुगतान व्यवस्था

6.1 सम्पत्ति का आवंटन ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा। सफल आवेदक को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें धरोहर धनराशि सम्मिलित होगी।

6.2 शेष 75 प्रतिशत धनराशि व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु 5 वर्ष की 20 त्रैमासिक किश्तों में नियमानुसार 15 प्रतिशत (ब्याज सहित) जमा करना होगा। परन्तु सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विधिक रजिस्ट्री के पश्चात ही दिया जायेगा।

6.3 व्यवसायिक सम्पत्ति में आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि का भुगतान न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि वापसी की प्रक्रियाः–

7.1 ई–नीलामी में असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा पंजीकरण/धरोहर धनराशि की वापसी आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि के एक माह के अन्दर सम्बन्धित के आवेदन फार्म पर अंकित बैंक खाते में बैंक माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदन फार्म में बैंक, खाता सं., आई. एफ.एस.सी कोड आदि त्रुटिपूर्ण होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि आवेदनकर्ता का होगा।

7.2 यदि प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक दुकान की ई–नीलामी पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर कर ली जाती है तो जमा धरोहर/पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि उक्त अवधि (एक वर्ष) के पश्चात आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से आवंटन तिथि तक की समयावधि पर धनराशि वापसी पर साधारण ब्याज देय होगा।

8. आरक्षण तालिका एवं नियमः–

8.1 निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण का प्राविधान निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होनें 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।	05
5.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	05
6.	विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	दिव्यांगजनों को शासनादेश संख्या–66/आठ–1–18–185 विविध/2010 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार आरक्षण देय होगा।	03

8.2 समाज के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल–03% का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत क्षैतिज रूप से देय होगा। शासनादेश संख्या 786/आ–1–08–25 विविध/07 दिनांक 30.01.2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत मूल्य में सामान्य रूप से दिव्यांग आवेदक को 10% तथा गम्भीर रूप से दिव्यांग आवेदकों को दुकान मूल्य से 20% की छूट प्रदान की जायेगी।

9. **शपथ पत्र–** प्रत्येक आवेदक को विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू० 100/– मूल्य के नान–जुडिशियल स्टाम्प पर, जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।

10. **आवंटित सम्पत्ति ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखने का प्राविधान–** आवंटी को आवंटित व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति को अयोध्या विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त करके किसी मान्यता प्राप्त ऋणदायी संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। अनुमति प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट पर ऋण सम्बन्धी विवरण अपलोड करने के उपरान्त प्राप्त हो जायेगा।

11. **रजिस्ट्री एवं फ्री होल्ड शुल्क–** प्राधिकरण द्वारा आवंटित व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति की रजिस्ट्री फ्री होल्ड सहित शासन द्वारा निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी अदा करने पर की जायेगी। आवंटी को समस्त मूल्य, अन्य देय शुल्क एवं फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के पश्चात स्वयं के खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत विक्रय विलेख (सेल डीड) निष्पादित कराना होगा।

12. आवंटित सम्पत्ति का कब्जा– रजिस्ट्री निष्पादन के उपरान्त ही आवंटी को व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति का भौतिक कब्जा स्थल पर प्राप्त कराया जायेगा।

12.1 अनुरक्षण व्यय – यदि आवंटी सूचना पाने के 30 दिन के अन्दर निबन्धन/अनुबन्ध कराकर कब्जा नहीं प्राप्त कर लेता है तो उसे उसके दुकान पर अनुरक्षण व्यय निम्न रूप से देय होगा।

- प्रथम तीन माह तक 10 रूपया प्रतिदिन
- अगले तीन माह तक 30 रूपया प्रतिदिन

इसके पश्चात् तीन माह तक आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी उपाध्यक्ष का होगा। यदि प्राधिकरण की किसी कमी के कारण दुकान पर आवंटी को कब्जा नहीं पाता है तो ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष उपरोक्त दण्ड शुल्क को कम करने के लिए सक्षम होगे।

12.2 भू–राजस्व के रूप में अवशेष देयों की वसूली – यदि आवंटी द्वारा दुकान के सम्बन्ध में देय किसी धनराशि का भुगतान समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा–40 के अधीन भू–राजस्व के अवशेष के रूप में उसकों वसूल करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा और इसके सम्बन्ध में होने वाला व्यय भी आंवटी अदा करेगा।

13. करों की देयता–

13.1 आवंटित व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति के कब्जा लेने की तिथि से स्थानीय निकाय अथवा शासन द्वारा जारी नियम एवं उप–नियम के अन्तर्गत समय–समय पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के करों, उपकरों तथा जी.एस.टी. का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।

13.2 सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त जी.एस.टी. एवं अन्य कर तथा उपकरों की देयता आवंटी की होगी।

14. आवेदक/आवंटी के मृत्यु की दशा में:– पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाने पर उसके वैध उत्तराधिकारियों के पक्ष में जिलाधिकारी अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र एवं अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने एवं किसी प्रकार की आपत्ति आने पर उसके वैधानिक निस्तारण के उपरान्त ही पंजीकरण/आवंटन उसके नाम से नामांतरित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण की समस्त शर्तों को पूरा किया जाता हो।

15. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं–

15.1 यदि किसी आवेदक/आवंटी द्वारा दिया गया कोई विवरण मिथ्या अथवा कोई तथ्य छिपाया गया पाया जाता है, तो उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण को आवेदन/आवंटन/निबन्धन को आवंटी के हर्जे–खर्चे पर निरस्त करने तथा आवेदक/आवंटी द्वारा जमा समस्त धनराशि को जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15.2 आवंटित व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति का विक्रय एवं हस्तान्तरण से सम्बन्धित नियम व शर्ते प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होंगी।

15.3 पंजीकरण/आवंटन आदि से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाएं परिवर्तनीय हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

15.4 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित विवरण वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अनुमानित के आधार पर निर्धारित किये गये हैं, जिसमें भविष्य में लागू होने वाले नियमों/वास्तविक स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके विरूद्ध आवेदक को कोई भी दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

मुख्य परिभाषायें–

आवेदक का परिवार–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक व उनके पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

सम्पत्ति–

सम्पत्ति का तात्पर्य निर्मित व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति से है।

प्रथम चरण (पंजीकरण का खुलना):

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अवधि तथा तिथि से है, इसलिए विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी।

पंजीकरण का दौरः

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्यः

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्तिः

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैः–

1. जो उत्तर प्रदेश का मूलवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबन्दी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम 10 बेतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो और इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डैंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहें हों।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग :

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा निर्दिष्ट शासनादेश के अन्तर्गत आने वाली जातियों से है।
2. अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ०प्र० अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी से है।
3. अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर का निर्धारण शासनादेश सं.– 1381/सी.एम./9–आ–5–18 मिस./88दिनांक– 23 नवम्बर, 1994 आवास अनुभाग–5 द्वारा जारी शासनादेश एवं विधायी अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश सं. 488/सत्रह–वि.–1–1 (क) 6–1994 दिनांक– 23 मार्च, 1994 एवं कार्मिक अनुभाग–2 उ.प्र. सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं. 22/16/92 टी.सी. दिनांक– 20 अक्टूबर, 2008 में प्राविधानित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्राधिकरण, नगर निगम, जल संस्थान, उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी का तात्पर्यः

1. अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या/उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारी/ अधिकारी तथा नगर निगम एवं नगर पालिका तथा जल संस्थान, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी से है।
2. आरक्षण सम्बन्धी विशेष निर्देश– शासनादेश सं0–138CM/9–आ–5–94–18 मिस/88 दिनांक– 23.11.94 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित व्यवसायिक दुकान//सम्पत्ति की संख्या से कम होती है तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक अनुदेशः

1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अपना नाम एवं पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए, अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. शासनादेश के अनुक्रम में सम्पत्ति का निबन्धन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से किये जाने की व्यवस्था है। अतः पति, पत्नी द्वारा संयुक्त नामों से आवेदन किया जा सकता है।
3. पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त नामों से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी संयुक्त नाम से किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में दोनों आवेदकों के पासपोर्ट साइज के चित्र एवं दोनों के हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
4. आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण पुस्तिका में अंकित किये गये विभिन्न श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
5. आवेदक की सुविधा हेतु आवेदन पत्र को दो प्रतियों में संलग्न किया गया है, जिसकी एक ही प्रति जमा करें एवं दूसरी प्रति पंजीकरण पुस्तिका के साथ सुरक्षित रखें।
6. आवेदक को पत्र व्यवहार का पता बदलने की स्थिति में तत्काल प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता एवं आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए।
8. पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन आदि के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। यदि पंजीकरण पुस्तिका में किसी विषय पर विवरण अथवा प्राविधान अंकित नहीं है तो वर्तमान में लागू शासनादेश के प्राविधान लागू होंगे।

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

संयुक्त आवंटन हेतु

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-1)	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-1)

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम/श्री/श्रीमती .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ..... आयु ..... वर्ष,

निवासी .....

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि:–

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।
3. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
5. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, वह कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जायें तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित सम्पत्ति निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो गयी तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर धनराशि भू–राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जाये।

शपथी

हस्ताक्षर

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

एकमुश्त भुगतान हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन
करने वाले आवेदकों के लिए)

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम/श्री/श्रीमती .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .....

आयु ..... वर्ष, निवासी .....

.....

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि: –

1. मैं/हमने एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन किया है।
2. मैं/हम भलीभांती अवगत है कि एकमुश्त भुगतान का चयन करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिवस के अन्दर प्राधिकरण में जमा करा दिया जायेगा।
3. यदि निर्धारित समयाविधि में उक्त धनराशि मेरे/हमारे द्वारा जमा नहीं करायी जाती है, तो प्राधिकरण आवंटन निरस्त करते हुये पंजीकरण धनराशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/भुगतान जानकारी के लिए सम्पर्क करें–

योजना से सम्बन्धित सहायता हेतु	आनन्द कुमार गुप्ता मो0– 7607778905
वेबसाइट से सम्बन्धित, किसी तकनीकी समस्या हेतु	महेश बाकु मो0– 9574524058
भुगतान सम्बन्धित समस्या हेतु	मो. शकील (एच.डी.एफ.सी. बैंक) मो0– 8896071446

प्रमुख सम्पर्क सूत्र–

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0– 7388898901

वित्त एवं लेखाधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0– 7607772288

सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0– 7388898915

उपाध्यक्ष
अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0– 7607778900

AYODHYA
The land of Rama

नयाघाट वाहन पार्किंग व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत प्रथम तल के दुकानों के आवंटन से सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं के लिए सम्पर्क करें।

हेल्पलाइन / व्हॉट्सएप नम्बर : +91- 7607778905

(प्रत्येक कार्यदिवस में प्रात: 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक)

Website- https://ayodhyada.procure247.com | E-mail: vcafda@gmail.com

वि
अ प्रा

अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या।